न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :– 01/2022 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2022/1)

कोकसिंह पुत्र श्री धूरिया जाति लोधा निवासी देवरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.........अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।
2. भू प्रबन्ध अधिकारी भहरतपुर।
3. ऐदलसिंह पुत्र श्री रनधीरसिंह जाति लोधा नि0 देवरी तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
4. देवीसिंह पुत्र श्री रनधीरसिंह जाति लोधा नि0 देवरी तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

.... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी रूपवास दिनांक 10.11.2021 अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट।

उपस्थितिः–

1. श्री गिरीश चतुर्वेदी वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

न्यायालय संभागीय आयुक्त * भरतपुर संभाग, भरतपुर *

निर्णय

दिनांकः– 16.08.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी रूपवास के निर्णय दिनांक 10.11.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी रूपवास के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट पेश कर इस्तदुआ की गई कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की

16.8.2022
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

163 रकबा 2 बीघा वाकै ग्राम देवरी जो भाई बट में
...008 से प्राप्त हुई। जिसे अब नया ख0नं0 211 कर दिया
... खसरा नम्बर 163 रकबा 2 बीघा डालचन्द पुत्र टीका जिसको
4 ने डालचन्द से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है जिसका
...म्बर 212 कर दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आदेश दिये जाने की
... की गई कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 211 के स्थान पर खसरा नम्बर 212 तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की खातेदारी खसरा नम्बर 212 के स्थान पर 211 किया जावे या सेटलमेन्ट के नक्शे में खसरा नम्बर 212 के स्थान पर खसरा नम्बर 211 व खसरा नम्बर 211 के स्थान पर खसरा नम्बर 212 किया जावे। इस प्रकार दुरूस्त किया जावे। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2021 पारित करते हुये यह आदेश दिये कि कोकसिंह पुत्र धूरिया और दीपा पुत्र धूरिया दोनों भाईयों के मध्य सहमति का विभाजन हुआ है। जिसका निर्णय तहसीलदार रूपवास नामान्तरकरण संख्या 771 दिनांक 4.1.2008 को किया गया है। प्रकरण एल आर एक्ट 136 के अंतर्गत नहीं आता है। प्रकरण अपील से संबधित है तदनुसार प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2021 खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रैस्पो0 संख्या 3 व 4 उपस्थित नहीं। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील अपीलान्ट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। अदालत तहत ने पटवारी व आईएलआर की रिपोर्ट जो कि कैम्प में दिनांक 10.11.2021 को की गई है उसी के आधार पर निर्णय दिया है जो कि कानूनी रूप से गलत है। पटवारी व आईएलआर ने उक्त केस की रिपोर्ट बिना मौके पर गये कैम्प पर ही कर दी है। रिपोर्ट में पटवारी व आईएलआर को यह भी पता नहीं था कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट किन कारणों से व किन आधारों पर दिया है। पटवारी व आईएलआर ने यह रिपोर्ट की है ''उपरोक्त प्रासंगिक प्रकरण के संदर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी कोकसिंह पुत्र धूरिया व दीपा पुत्र धूरिया दोनों भाईयों के मध्य सहमति का विभाजन हुआ है। इसका

16.8.2022
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

र्णय तहसीलदार रूपवास नामान्तरकरण संख्या 771 दिनांक 4.1.2008 को किया गयाहै। करण एल आर एक्ट 136 के अंतर्गत नहीं आता है। प्रकरण अपील से संबधित है। रिपोर्ट चित कार्यवाही हेतु पेश है" उक्त रिपोर्ट कैम्प न्यायालय में दिनांक 10.11.2021 को पेश र दी । प्रार्थी का प्रकरण 136 में यह था कि सैटिलमेन्ट विभाग ने पूर्व के खसरा नम्बर 63 के दो नम्बर 211 व 212 बना दिये है। जो कि मौके के अनुसार नहीं है और बिना किसी उचित अधिकारी के आदेश के उनका विभाजन कर दिया है। मौके पर प्रार्थी के सरा नम्बर 163 के दक्षिण की तरफ काबिज है तथा खसरा नम्बर 163 के उत्तरी दिशा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 अपने पूर्व विक्रेता डालचन्द के स्थान पर काबिज है। इसी प्रकार षि करते हुये काबिज है। दक्षिण में प्रार्थी के पिता के द्वारा लगा हुआ फरास का पुराना ड आज भी लगा हुआ है। डौल मेढ हो रही है तथा उत्तरी हिस्से पर पूर्व विक्रेता लचन्द के पिता टीका का पक्का चबूतरा व थान बना हुआ है। सैटिलमेन्ट विभाग ने के के विपरीत बिना नोटिस दिये प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 211 का खातेदार बना दिया जबकि मौक के अनुसार इसके विपरीत स्थिति है। जिसे दुरूस्त कराया जाना आवश्यक । रिपोर्ट मौके के विपरीत तैयार की गई है। यह कि तहत अदालत ने अपने आदेश नांक 10.11.2021 के पैरा नम्बर 2 में यह वर्णित किया है कि " मेरे द्वारा पत्रावली का वलोकन कि पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों को मनन किया गया मुताबिक पटवारी व ाईएलआर व नायब तहसीलदार रूपवास की रिपोर्ट के आधार पर कोकसिंह पुत्र धूरिया दीपा पुत्र धूरिया दोनों भाईयों के मध्य सहमति का विभाजन हुआ है। जिसका निर्णय हसीलदार रूपवास नामान्तरकरण 771 दिनांक 4.1.2008 को किया गया है। प्रकरण एल ार एक्ट 136 के अंतर्गत नहीं आता है प्रकरण अपील से संबधित है। ऐसी स्थिति में ार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत है। अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट खारिज किया जाता है प्रकरण फैसलशुमार किया जाकर म्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो" उक्त निर्णय सरसरी तौर पर पटवारी व ाईएलआर कीगलत रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है जो काबिल खारिजी के है। यह के सैटलमेन्ट विभाग द्वारा उपरोक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही शुरू से ही बिना अधिकार के होने के कारण एवइनिसियोवाईड है। सैटलमेन्ट विभाग को केवल तीन परिस्थितियों में ही इन्द्राज बदलने का अधिकार है। वे परिस्थितियां ट्रांसफर, सक्सैशन, कॉम्पेटैन्ट कोर्ट के आदेश होने पर ही है, परन्तु इस प्रकरण में उपरोक्त तीनों बातों में से काई भी बात मौजूद

नहीं होते हुये भी सैटलमेन्ट विभाग ने पुराने खसरा नम्बर 163 के दो नये नम्बर बना कर उनका पूर्व के सहखातेदारों में अलग–अलग बंटवारा कर दिया है। वह भी मौके के अनुसार नहीं किया है। प्रार्थी को उक्त इन्द्राजात के बारे में कोई नोटिस भी नहीं दिया है। ऐसे प्रकरण प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट के तहत ही मैन्टेबिल है। इसलिऐ न्यायालय का यह आदेश देना कि प्रकरण एल आर एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है अपील से संबधित है। कतई गलत व खिलाफ कानून है जो कि काबिल खारिजी के है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश उपखण्डाधिकारी रूपवास दिनांक 10.11.2021 निरस्त किया जावे तथा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी रूपवास द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2021 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.2021 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक तथा राजकीय अभिभाषक की बहस सुनने व मनन करने व अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुचें है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.2021 में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह इस्तदुआ की गई थी कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 211 के स्थान पर खसरा नं0 212 तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 की खातेदारी के आराजी खसरा नं0 212 के स्थान पर खसरा नं0 211 की जावे या सैटिलमेन्ट के नक्शे में खसरा नं0 212 के स्थान पर खसरा नं0 211 व खसरा नं0 211 के स्थान पर 212 किया जावें। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पटवारी हल्का तथा भू–अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2021 में उल्लेख किया कि कोक सिंह पुत्र धुरिया व दीया पुत्र धुरिया दोनों

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

भाइयों के मध्य सहमति का विभाजन हुआ है जिसका तहसीलदार रूपवास द्वारा नामान्तकरण संख्या 771 दिनांक 04.01.2008 स्वीकृत किया गया है। इस कारण प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत नहीं आता है। इस रिपोर्ट को आधार मानकर उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.2021 को पारित किया गया है। वैसे भी भू–'राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत लिपिकीय त्रुटि राजस्व रिकार्ड में संशोधन, जाति का संशोधन आदि ही किया जा सकता है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रकरण स्पष्ट रूप से भूमि विनिमय किये जाने से संबंधित है जो कि धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निर्णित नहीं हो सकता है। इसके अलावा पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार सहमति के आधार पर हुये विभाजन के अनुसार खातेदारी में दर्ज हुये खसरा नं0 का परिवर्तन भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तहत नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने अथवा तहसीलदार द्वारा सहमति के आधार पर किये गये विभाजन के विरूद्ध अपील पेश कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता था। चूंकि अपीलाधीन निर्णय स्पीकिंग व स्पष्ट रूप से पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर